

## कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

समस्त विज्ञापन एजेंसियों/भवन/भूमि स्वामियों/व्यवसायियों/बिल्डरों/पेट्रोल पंप  
संचालको तथा रिक्शा एवं अन्य वाहनों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने पर लिया जाने

वाला निर्धारित दर :-

—000—

(अ) निजी भवन के छत/भूमि/सड़क किनारे लगाये गये विज्ञापन होर्डिंग्स की दरें :-

क्रमांक	सड़क समूह	आकार	रुपर्ये प्रति वर्गफुट
1	आजाद चौक थाना से शंकर नगर चौक तक	20'X10'	66.00
2	आजाद चौक थाना से आगे रविशंकर विश्व विद्यालय गेट तक	—:—	60.00
3	रविशंकर विश्वविद्यालय से आगे टाटीबंध थाना चौक तक	—:—	54.00
4	शंकर नगर चौक से आगे वी.आई.पी. मार्ग तक	—:—	48.00
5	शास्त्री चौक से फाफाडीह गंज थाना से स्टेशन चौक तक, गंज थाना से खमतराई ओवर ब्रिज पुराना कचहरी चौक से आगे पंडरी कपड़ा मार्केट तक देवेन्द्र नगर सम्पूर्ण क्षेत्र	—:—	75.00
6	पंडरी कपड़ा मार्केट से आगे मोवा वाल्टेयर लाइन तक शंकर नगर छोटी लाइन से अवंती बाई चौक तक	—:—	42.00
7	नगर घड़ी से मंत्रालय महिला थाना कालीबाड़ी चौक पेट्रोल पंप पुलिस लाइन तक	—:—	66.00
8	सखाराम दुबे स्कूल के पास से लाखेनगर, बुडेश्वर मंदिर, मारवाड़ी शमशानघाट, पुलिस लाइन, पेट्रोल पंप तक, महादेव घाट, रिंग रोड से लाखे नगर चौक तक, लाखेनगर चौक से आमापारा आर. डी. तिवारी स्कूल से आगे अग्रसेन चौक से गीतानगर चौक तक, सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से संजय नगर रिंग रोड तक	20'X10'	69.00

9	जयस्तम्भ से गंज थाना शारदा चौक से गुरुनानक चौक, तेलधानी नाका, स्टेशन चौक तक, गुरुनानक चौक से निवेदिता स्कूल से स्टेशन चौक तक,	20'X10'	66.00
10	जयस्तम्भ से कालीबाड़ी चौक तक	--:-	90.00
11	पुलिस लाइन पेट्रोल पंप से पचपेड़ी नाका तक, पचपेड़ी नाका तिराहा से तेलीबांधा रोड तक	--:-	60.00
12	कालीबाड़ी से काली मंदिर आकाशवाणी, काली मंदिर से कटोरा तालाब से राजेन्द्र नगर रिंग रोड तक	--:-	66.00
13	टाटीबंध रिंग रोड से पचपेड़ी नाका तक	--:-	45.00
14	अन्य नगर सीमा क्षेत्र	--:-	12.00

(ब) रिक्शा एवं अन्य वाहनों में विज्ञापन लगाकर प्रचार करने पर निर्धारित दर :-

वार्षिक रू. 2,000/- प्रति रिक्शा/वाहन

(स) निजी संस्थानों/व्यवसायियों/बिल्डरों/मवन स्वाभियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा

विज्ञापन का प्रदर्शन किये जाने पर निर्धारित दर :-

वार्षिक रू. 10,000/- प्रति बोर्ड (साइज 20'X10') एवं बोर्ड की साइज अधिक

होने पर उक्त दर में आनुपातिक वृद्धि अनुसार दर निर्धारित होगा।



आयुक्त

नगर पालिक निगम  
रायपुर